

2992

(1B) Sales Deed Khassra No 399

भारतीय न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

सुदानी
कोड सफा R55A

26 MAY 2008

XXXXXX
जिला हरिद्वार (उत्तरांचल)
XX 2008-2008

Sale



Sotendra Kumar Gai.
Advoca

विक्रय विलेख का वांछित विकल्प Court Record

2008 No. 1234/01
CIVIL COURT, HARIDWAR
विलेख का प्रकार :-

1. प्रतिफल :-
2. बाजारी मालियत :-

विक्रय पत्र

रु0 1,05,54,320-00 (एक करोड पांच लाख चत्वन
हजार तीन सौ बीस रुपये)

रु0 1,05,54,320-00 (एक करोड पांच लाख चत्वन
हजार तीन सौ बीस रुपये)

4. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्य सूची से मालियत:-

रु0 58,52,000-00 (अठ्ठावन लाख बावन
हजार रुपये)

5. वास्तविक प्रतिफल एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्यसूची

के अनुसार मूल्यांकन में अंतर (Difference):-

रु0 47,02,320-00 (तीतालीस लाख दो
हजार तीन सौ बीस रुपये)

सुदानी

For Kinn Electronics Ltd. Uttarakhand

Authentic Signature

C_p

मन्त्र इत्येवमिदं लिख्यते ॥ १ ॥

मि-राजकु

१. विद्यार्थी नाम :
 २. पालिका नाम :
 ३. पालिका का पता :
 ४. पालिका का फोन नम्बर :
 ५. पालिका का ईमेल :
 ६. पालिका का वेबसाइट :
 ७. पालिका का फेसबुक :
 ८. पालिका का ट्विटर :
 ९. पालिका का लिंक्डिन :
 १०. पालिका का गूगल प्लस :





सूचना
कोड संख्या 8500
24 MAY 2008
XXXXXX
जिला हरिद्वार (उत्तरांचल)
X X 2008-2008
2

6. कुल वांछित स्टाम्प शुल्क:- रु 5,74,245-00 (पांच लाख चौहत्तर हजार दो सौ पैतालीस रुपये)
7. अनुबन्ध पत्र के समय अदा स्टाम्प शुल्क:- रु 6,60,000-00 (छः लाख साठ हजार रुपये)
8. वर्तमान में अदा स्टाम्प शुल्क:- वांछित स्टाम्प शुल्क से अधिक का स्टाम्प शुल्क अनुबन्ध पत्र के पंजीकरण के समय केला द्वारा अदा किया जा चुका है। फिर भी वर्तमान में रु 200-00 का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।
9. स्टाम्प सीटों की संख्या :- 20 सीट
10. क्या केला एवं विक्रेता के मध्य अनुबन्ध हुआ है:- केला एवं विक्रेता के मध्य विक्रीत भूमि का अनुबन्ध पत्र उपनिबन्धक कार्यालय द्वितीय रुडवाई में दिनांक 19-03-2008 को निष्पादित कर वही नम्बर 1, जिल्द 272, पृष्ठ 239 से 264 से नम्बर 1363 पर दिनांक 19 मार्च 2008 को पंजीकृत है।

(Handwritten Signature)

For Miro Electronics Ltd. Uttarakhand

(Handwritten Signature)
Authorised Signatory

प्रलेख नः 2,992

SALE (IMMOVABLE)

SALE AFTER AGREEMENT

रजिस्ट्रेशन फीस

5,000.00

वेस्टिंग शुल्क

20.00

10,554,320.00

मालियत (स्टाम्प दिया न)

Electronic Processing Fee

420.00

कुल योग

5,440.00

श्री/श्रीमती/कुमारी मकै इलेक्ट्रॉनिक्स लि० द्वारा राजेश राधा कृष्णन

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी

निवासी

ने आज दिनांक

14-07-2008

समय 15:40:58

कार्यालय उप निबन्धक SRO Roorkee 02

में प्रस्तुत की।

उपनिबन्धक

SRO Roorkee 02

इस लेखपत्र का निष्पादन सुन व समझकर व विक्रय धन/अग्रिम धन/नगद रु० 10,554,320.00
श्रेष्ठानुसार प्राप्त करके श्री/श्रीमती/कुमारी मकै इलेक्ट्रॉनिक्स लि० द्वारा राजेश राधा कृष्णन
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी मकै इलेक्ट्रॉनिक्स लि० रायपुर परगना भगवानपुर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार

स्वीकार किया।

सम्पादन श्री मकै इलेक्ट्रॉनिक्स लि० द्वारा राजेश राधा कृष्णन/श्री/श्रीमती/कुमारी मकै इलेक्ट्रॉनिक्स
लि० रायपुर परगना भगवानपुर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार

किया।

सकी पहचान

अशोक कुमार

वासी 35.सिविल लाइन रुडकी

एस.के. शुक्ला

वासी 158.रायपुर परगना भगवानपुर
की।

पुत्र श्री चौधरी श्याम सिंह

पुत्र श्री टी.आर. शुक्ला

उपनिबन्धक

SRO Roorkee 02

श्री/श्रीमती/कुमारी मकै इलेक्ट्रॉनिक्स लि० द्वारा राजेश राधा कृष्णन
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी मकै इलेक्ट्रॉनिक्स लि० रायपुर परगना भगवानपुर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार

भारतीय नैऋत्यार्थिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON-JUDICIAL

संख्या
कांड संख्या 1537
26 MAR 1992
XXXX
जिला सचिव
XX 2043

11. भूमि क्या करने का प्रयोजन:-

विक्रीत भूमि वर्तमान में कृषि भूमि है परन्तु औद्योगिक प्रयोजन हेतु ख़राब हो जा रही है.

12. मुख्य मार्ग से दूरी:-

विक्रीत भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग लुधिय-दिल्ली से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है तथा गांव के मुख्य मार्ग से 1 किमी० की दूरी पर है.

13. विवरण सम्पत्ति:-

भूमि का संख्या-34 अक्षर संख्या-399 जिसका कुल

क्षेत्रफल 1.1640 हेक्टर है, का आकार कुल 12 (अविभाजित भाग अर्थात् 0.532 हेक्टर, स्थित ग्राम मुन्डियाकी परजवा मंगलौर तहसील लुधिय, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड).

14. वार्षिक भू-राजस्व:-

रु० 2330-00 जिसके आठ सौ रुपया से सालाना रु० 19,040/- होती है.

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

124

147/od.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

502

2000

100

~~संख्या: १००/१९९९~~



भारतीय न्यायिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

*** कोषाधिकारी ***

सहवीर
कोड संख्या 5500

26 MAY 2008

-4-
XXXXXXXXXX
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
2008-2009 + 4

15. स्टाम्प शुल्क हेतु स्पष्ट विवरण- यह कि जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्यांकन की पृष्ठ 31, क्रमांक 28 के अनुसार कृषि भूमि की दर रु 12,25,000-00 प्रति हेक्टर निर्धारित है। परन्तु भूमि औद्योगिक प्रयोजन हेतु कय की जा रही है। जिसकी दर पृष्ठ 40, क्रमांक 1 के अनुसार रु 1,05,54,320-00 प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। परन्तु विक्रीत भूमि के दो ओर चकरोड है। इसलिये 10 प्रतिशत अतिरिक्त सम्मिलित करते हुये रु 1,100-00 प्रति वर्गमीटर बनती है, जिसके अनुसार विक्रीत भूमि की मालियत रु 1,05,54,320-00 (अठारह लाख बावन हजार रुपये) बनती है। परन्तु वास्तविक प्रतिफल रु 1,05,54,320-00 (एक करोड पांच लाख चवन हजार तीन सौ बीस रुपये) का केता एवं विक्रीत के मध्य अनुबन्ध पत्र के अनुसार निर्धारित है। वास्तविक प्रतिफल एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्यांकन के अनुसार मालियत में रु 47,02,320-00 (तीस लाख दो हजार तीस सौ बीस रुपये) का अन्तर (Difference) है। इसलिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 74(1)/XXVII(9) Stamp/2008 issued by Uttarakhand State Government dated 25.4.2008 के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्य सूची से मूल्यांकन पर 7 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क एवं अन्तर (Difference) पर 3.5 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क विन्म प्रकार अदा किया जा रहा है।

अ. वास्तविक मूल्य-

रु 1,05,54,320-00 (एक करोड पांच लाख चवन हजार तीन सौ बीस रुपये) है।

ब. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्य सूची से मालियत-

रु 58,52,000-00 (अठारह लाख बावन हजार रुपये) पर 7 प्रतिशत की दर से रु 4,09,640-00 (चार लाख नौ हजार छ सौ चालीस) का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

हस्ताक्षर

For Mirc Electronics Ltd. Uttarakhand

Authorised Signatory

184 147/00
19

147/00
19



भारतीय नैऋत्याधिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

कीर्वाधिकारी

कोड संख्या 6500

26 MAY 2008

XXXXXXXXXX

जिल्हा-हरिद्वार (लल्लारामपट्ट)

XX 2008-2009

स. अन्तर(Difference)-

रु0 47,02,320-00(सैंतालीस लाख दो

हजार तीस सौ बीस रुपये) पर 3.5 प्रतिशत का दर से
रु0 1,64,605-00(एक लाख बीस हजार छ सौ
पांच) का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

द. कुल स्टाम्प शुल्क:-

रु0 5,74,245-00(पांच लाख चौहत्तर हजार दो सौ
पैंतालीस) अपेक्षित है। परन्तु केता द्वारा अबुलगा एन के
पंजीकरण के समय रु0 6,60,000-00 का स्टाम्प
शुल्क अदा किया हुआ है। इसलिये वर्तमान में कोई
स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं है। फिर भी रु0 200-00
का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

16. भूमि आवास एवं विकास शुल्क की सीमा से बाहर है।

17. विक्रेता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से नहीं है।

18. विक्रीत भूमि पट्टे की भूमि नहीं है।

19. चकबन्दी चल रही है अथवा नहीं-

नहीं

हस्ताक्षर

For the Officer

184 14/00

12/4

184 14/00
12/4
184 14/00
12/4
184 14/00
12/4



भारतीय नैऋत्याधिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

24 MAY 2008

XXXXXX
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
XX 2008-2009 + +

20. क्रेता उत्तराखण्ड राज्य से बाहर की कम्पनी है, जिसने भूमि क्रय करने से पूर्व 30प्र0(उत्तराखण्ड) ज0वि0 एवं भू0 व्यवस्था अधिनियम को धारा 154(4)(3)(क) की अनुमति संख्या 414भू0कय/18(2)/2007-01(50)/2008 दिनांक 17-06-2008ई0 को प्राप्त कर ली है। धन्य प्रति संलग्न है।

21. यह कि क्रेता विक्रीत भूमि अनुमति प्राप्त करने के बाद कय कर रहा है तथा उद्योग स्थापित करने के बाद नियमानुसार 70 प्रतिशत विद्युतित रोजगार संवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध करायेंगा।

22. विक्रय पत्र के बाद क्रेता विक्रीत भूमि में विशेष श्रेणी का संक्रमणीय भूमिधर बना रहेगा।

23. विक्रेता का नाम व पता :- श्री लुक्मन सिंह पुत्र ल० श्री धूम सिंह निवासी काम हडिवाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, (उत्तराखण्ड) विक्रेता कृपक है तथा स्वाई लेखा सं० यही है। प्रारूप 61 संलग्न है।

24. क्रेता-कम्पनी का नाम व पता:- मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम 1956 के अर्न्तगत एक विनिवृत्त पंजीकृत कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ओबिडा हाऊस, जी-1 एम0आई0डी0सी0 महाकाली कंठ रोड अचोरी (ईस्ट) मुम्बई द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेश सधा कुष्मण, पुत्र श्री पी0आर० नायर निवासी मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा संख्या-158 ग्राम रायपुर परगना भगवतपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड, कम्पनी का स्वाई लेखा संख्या AAACM8055A है।

For Mirc Electronics Ltd, Uttaraanchal

24 MAY 2008

Authorized Signatory

184 14/07/07

109

177-141

177-141

177-141



भारतीय नैऋत्ययिक

दस
रुपये

रु. 10



TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

*** कापीगणित ***

कापु संख्या 5800

24 MAY 2008

XXXXXX
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
X X 2008 - 2009 + +

786785

विक्रय विलेख

यह विक्रय-विलेख आज दिनांक 14-07-2008 को स्थान लड़की, जिला हरिद्वार में श्री कृपाल सिंह पुत्र स्व० श्री धूम सिंह निवासी ग्राम दहिवाकी परगना मंगलौर, तहसील लड़की, जिला हरिद्वार, (उत्तराखण्ड) जिसको इस विलेख में विक्रेता कहकर सम्बंधित किया गया है।

.....विक्रेता

तथा

मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 1956 के अर्जगत एक लिखित पंजीकृत कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ओमिडा हाउस, जी-1 एम0आई0सी0सी0 महाकाली केस रोड अन्धेरी (ईस्ट) मुम्बई द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेश राधा कृष्णन पुत्र श्री पी0आर0 नायर निवासी मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड छतरा संख्या-158 ग्राम रायपुर परगना भजवाणपुर, तहसील लड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड (जिसको इस विलेख पत्र में क्रेता-कंपनी कहकर सम्बंधित किया गया है) के मध्य में अंकित व विधायित किया गया।

.....क्रेता

For Mrc Electronics Ltd, Uttarakhand

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

कलहोत्र



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

कोषाधिकारी

जगन्नाथ

कागज नं. 15000

26 MAY 2008

XXXXXXXXXX

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

XX 2008-2009

-8-

जैसा कि ग्राम मुन्डिवाड़ी परगना मंजली, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 के अर्न्तगत कृषि सम्बन्धी जोतों की चकबन्दी के व्यवस्था से आच्छादित हो गया, उस अधिनियम की धारा-27 (1) के अर्न्तगत विधिवत राजस्व अभिलेखों का निर्माण हुआ तथा धारा 27 (2) के अर्न्तगत उक्त राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियाँ सत्य व ठीक तथा प्रमाणित भावी जावेंगी।

और जैसा कि श्री जगराम पुत्र श्री बादाम सिंह, श्री धूम सिंह पुत्र श्री जगराम सिंह, श्री गोकुल पुत्र श्री जगराम इस विलेख की दूरों में वर्णित सम्पत्ति के स्वामी भूमिधर व अध्वारी रहे हैं। तब से चकबन्दी की व्यवस्था होने पर 1397 फसली में प्रथम चकबन्दी की व्यवस्था हुयी और उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 की धारा-27 समिति उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली 1954 के नियम 97 के अर्न्तगत श्री जगराम पुत्र श्री बादाम सिंह, श्री धूम सिंह पुत्र श्री जगराम सिंह, श्री गोकुल पुत्र श्री जगराम का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हुआ।

और जैसा कि 1397 फसली से पूर्व श्री जगराम सिंह, श्री धूम सिंह तथा श्री गोकुल सिंह के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित रहे और उक्त पुराने खसरा संख्या-762(मि०), खसरा संख्या-765(मि०), खसरा संख्या-766(मि०), खसरा संख्या-767(मि०) खसरा संख्या-768/1 (मि०), खसरा संख्या-768/2 (मि०), खसरा संख्या-769/1(मि०), खसरा संख्या-769/2(मि०) अंकित रहे और वह परिवर्तित होकर नया खसरा संख्या-399 के नाम से पहचाने गये।

For Mirc Electronics Ltd. Uttarakhand

26 MAY 2008

Authorised Signature

184 147/001



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु. 10



TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL



और जैसा कि फसली वर्ष 1397 से पूर्व श्री धूम सिंह पुत्र श्री जगशम सिंह का नाम अभिलेखित था और वह नाम 1400-1405 फसली तक प्रदर्शित रहा।

और जैसा कि श्री धूम सिंह का देहान्त हो गया। उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके उत्तराधिकारी श्री कृपाल सिंह व श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण स्व० श्री धूम सिंह का नाम राजस्व अभिलेखों में, राजस्व भू-लेख अधिकारी, मंगलौर, रुड़की, जिला हरिद्वार के आदेश दिनांक 25-04-1995 के द्वारा परिवर्तित हुआ।

और जैसा कि वर्तमान में दिक्कत श्री कृपाल सिंह तथा उनके भाई / सहभागीदार श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण स्व० श्री धूम सिंह का नाम राजस्व अभिलेखों में प्रदर्शित है।

और जैसा कि विक्रेता इस दिक्कत की सूची में वर्णित सम्पत्ति में 1/2 भाग अर्थात् 0.5320 हेक्टेयर का खाली अथवासी है।

और जैसा कि जेता-कम्पनी ने इस दिक्कत की सूची में वर्णित भूमि को क्रय करने हेतु श्री राजेश राधा कृष्णन, पुत्र श्री 03420 लॉयर निवासी जहाँ इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड सरसरा संख्या-158 ग्राम भजवानपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड को अपना अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कर रखा है तथा उनके पक्ष में प्रस्ताव दिनांक 21 दिसम्बर 2007 ई० को पंक्ति कर रखा है।

और जैसा कि विक्रेता वर्तमान दिक्कत दिक्कत के माध्यम से अपने भाग में आयी सम्पत्ति (1/2 अविभाजित भाग) अर्थात् 0.532 हेक्टेयर जेता-कम्पनी को विक्रीत कर रहा है।

श्री राजेश राधा कृष्णन

For Notary Public and Notary Public

Signature of Notary Public

184 14/07/00

100

100

100

100

100



भारतीय नैऋत्याधिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

रु. 10

Rs. 10



INDIA NON JUDICIAL

*** कार्यवाही के लिए ***

रु. 10

काग. सं. 5500

26 MAY 2008

XXXXXXXXXX

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

2008 - 2009 ++

- 10 -

और जैसा कि विक्रेता का स्वामित्व इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति के विषय में पवित्र है तथा विक्रेता के पास बाज में विक्रय योग्य स्वामित्व है। इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति किसी विवाद में तथा किसी न्यायालय के विवाद में गृहित नहीं है। सम्पत्ति स्पष्ट स्वामित्व की है। इस सम्पत्ति पर कोई भार, अधिभार, बन्धन, घरोहर व गिरवी तथा ऋण नहीं है। यह सम्पत्ति किसी स्था पर बन्धक नहीं है। विक्रेता को इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति विक्रीत करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

और जैसा कि क्रेता-कम्पनी इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति को अंकन 1,05,54,320/- रुपये (एक करोड़ पाँच लाख चौवन हजार तीन सौ बीस रुपये मात्र) की धनराशि में क्रय करने को तैयार है और विक्रेता इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति को उपरोक्त धनराशि में विक्रीत करने को तैयार है।

अतः यह विक्रय विलेख निम्न दर्शाता है :-

- (1) यह कि मैं उपरोक्त विक्रेता श्री कृपाल सिंह पुत्र स्व. श्री धूम सिंह विवाही ज्ञान दहियाली परजवा मंगलौर, तहसील लड़वा जिला हरिद्वार, (उत्तराखण्ड), इस विक्रय-विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति को क्रेता-कम्पनी मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक विधिवत पंजीकृत कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ओबिडा हाऊस, जी.एम.आई.डी.सी. महाकाली केन्द्र रोड अन्वरी (ईस्ट) मुम्बई द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेश राधा कृष्णण, श्री पी.आर. बायर विवाही मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड संख्या-158 काम राजपुर परजवा भक्तानपुर, तहसील लड़वा जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड को अंकन 1,05,54,320/- रुपये (एक करोड़ पाँच लाख चौवन हजार तीन सौ बीस रुपये मात्र) में विक्रीत, अन्तरित तथा हस्तान्तरित करता हूँ तथा सम्पत्ति पर स्वामी के रूप में क्रेता-कम्पनी सहोदय को आ

For Mico Electronics Ltd. Uttarakhand

रु. 10

रु. 10

181 147/09

181

...

...

...

...





-11-

करता है। सम्पत्ति का वास्तविक अध्यासन स्वल पर विक्रेता ने क्रेता-कम्पनी को स्वल पर सौंप दिया है तथा सम्पत्ति पर आरुढ़ कर दिया है। विक्रय प्रतिफल की धनराशि अंकन 1,05,54,320/- रुपये (एक करोड़ पांच लाख चौवन हजार तीन सौ बीस रुपये मात्र) विक्रेता ने क्रेता-कम्पनी से निम्नानुसार प्राप्त कर लिये हैं :-

क- विक्रेता ने अंकन रु0 26,39,000-00(छब्बीस लाख उनतालीस हजार रुपये) बजरीये डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0 000695 दिनांक 19-03-2008, प्राप्त एच.डी.एफ.डी. बैंक, रुड़की, जिला हरिद्वार, अद्यवन्त पत्र के समय प्राप्त कर लिये थे।

ख- विक्रेता ने अंकन रु0 73,13,320-00(अस्सी लाख पन्द्रह हजार तीन सौ बीस) रुपये बजरीये डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0-000923, दिनांक 14-07-2008, वास्ते एच.डी.एफ.डी. बैंक रुड़की जिला हरिद्वार, के द्वारा प्राप्त कर लिये हैं।

विक्रेता प्रेषित विक्रेता उपनिवेशक रुड़की, जिला हरिद्वार के कार्यालय में एतद्वारा स्वीकार करता है और विक्रय प्रतिफल की एवज में कोई लेना-देना शेष नहीं रह गया है और वही अधिकार में होगा।

(2) वह कि पूर्ण स्पष्टीकरण हेतु विक्रेता निम्नानुसार स्पष्ट करता है :-

(क) यह कि विक्रेता ने इस विक्रय-विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति का वास्तविक अध्यासन क्रेता-कम्पनी को स्वल पर सौंप दिया है तथा सम्पत्ति पर आरुढ़ कर दिया है।

(Handwritten signature)

For M/s. Vikram...

(Handwritten signature)

No. 184
 Date 14/7/00
 Page 101
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]





-12-

- (ख) यह कि यहां यह स्पष्ट किया जाना उचित है कि विक्रेता वर्तमान विक्रय विलेख के माध्यम से अपने भाग में आयी 1 (1/2) अविभाजित भागों अर्थात् 0.532 हेक्टेयर क्रेता-कम्पनी को विक्रीत कर रहा है।
- (ग) यह कि विक्रीत सम्पत्ति के आज तक के समस्त कर एवं भू-राजस्व का भुगतान विक्रेता करेगा और आज के समस्त कर एवं भू-राजस्व का भुगतान क्रेता-कम्पनी करेगी।
- (घ) यह कि विक्रीत सम्पत्ति पर वर्तमान में कोई भार, अधिभार, भजन बरी है और यह सम्पत्ति किसी स्थान पर च दबका नहीं है। यह सम्पत्ति विवाद व प्रत्येक प्रकार के न्यायालय के विवाद से मुक्त है। सम्पत्ति स्पष्ट स्वामित्व
- (ङ) यह कि विक्रीत सम्पत्ति के साथ उपलब्ध व संलग्न समस्त सुखाधिकार व अधिकार जो वर्तमान में वि उपलब्ध है और जो भविष्य में विक्रेता को उपलब्ध हो सकते हैं, वह भी क्रेता-कम्पनी को अन्तर्गत किये जा
- (च) यह कि यदि किसी समय पूर्ण स्वामित्व व स्पष्ट स्वामित्व के लिए क्रेता-कम्पनी को विक्रेता की सहमति की आ पड़ी और विक्रेता द्वारा क्रेता-कम्पनी के पक्ष में अन्य कोई पत्र व प्रपत्र अंकित करने की आवश्यकता पड़ी तो क्रेता-कम्पनी की मांग पर व क्रेता-कम्पनी के व्यव धर उपरोक्त प्रपत्र अंकित व निष्पादित करेगा तथा उसका कार
- (छ) यह कि यदि विक्रीत सम्पत्ति या उसका कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व दोष के कारण या विक्रेता के किसी अन कारण क्रेता-कम्पनी के अधिकार से निकल जाता है तो विक्रेता उसका पर्याप्त हर्जाना मव निर्माण लागत को को अदा करेगा।

25/5/2008

For Mirc Electronics Ltd. Uttarakhand

Authorised Signat

184 14/9/02
107
9
[Signature]





रुपयती
मोड संख्या 1800

26 MAY 2008

XXXXXX
पिन संचित (ई. ए. ए. ए.)
X X 2003-2009

-13-

- (क) यह कि क्रेता-कम्पनी ने औद्योगिक उद्देश्य एवं भूमि को क्रेय करने हेतु उत्तराखण्ड शासन से उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड जमीन विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (व्यवस्थापित उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-29 वर्ष 2003) तथा उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-12 वर्ष 2005 (उत्तराखण्ड अध्यादेश सं-1 वर्ष 2007) के प्राविधानों के अन्तर्गत भूमि क्रेय से पूर्व 3090(उत्तराखण्ड) ज०वि० एवं भू० व्यवस्था अधिनियम की धारा 154(4)(3)(क) की अनुमति सं 414भू०क०/18(2)/2007-01(30)/2008 दिनांक 17-06-2008ई० को प्राप्त कर ली है। इस प्रकार इस वि की सूची में वर्णित सम्पत्ति को विक्रीत, अर्थात् व हस्तांतरित करने में विक्रेता उक्त अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं कर रहा है।
- (ख) यह कि सम्पत्ति का स्वामित्व अविभाजित है, परन्तु उसका अन्वयजन विविध सम्पत्ति पर है, उसकी जमात सूची नहीं है।
- (ग) यह कि सूची में वर्णित सम्पत्ति पर वर्तमान में कोई पसत नहीं है तथा विक्रेता ने स्थल पर क्रेता महोदय का कब्जा समान पूर्ण रूप से करा दिया है। अब नेशन या मेरे उत्तराधिकारों का कोई सम्बन्ध या वास्ता विक्रीत सम्पत्ति से प्रकार का नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा।
- (3) यह कि सम्पत्ति ग्राम मुन्डिवाली परबना गंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) में स्थित है। इस विलेख की में वर्णित सम्पत्ति नगर निगम / नगरपालिका की सीमा से बाहर स्थित है। इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति का 0.532 हेक्टेयर है। इस सम्पत्ति के विषय में पंजीकृत विजय संविदा-पत्र दिनांक 19-03-2008 के अन्तर्गत

हस्ताक्षर

For the Director of Land Revenue

Signature

184 197/00
102

सुदेश च न मन्दः
[Signature]



6145

भारतीय न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

₹. 10

Rs. 10



INDIA NON-JUDICIAL

26 MAY 2008

XXXXXXX
जिला हरिद्वार (उत्तरांचल)
X X 2008-2009

-14-

1,05,54,320/- रुपये में अनुबन्ध हुआ था। यही सम्पत्ति का वास्तविक तथा सत्य मूल्यांकन है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) विन्यासवली 1997 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलकट्ट हरिद्वार द्वारा निर्मित, भूमि एवं सम्पत्ति मूल्यांकन सूची 2008 के अन्तर्गत सम्पत्ति का शासकीय मूल्यांकन रु0 1000-00/- रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। पर निर्धारित भूमि के दो ओर धक्केड है। इसलिये 10 प्रतिशत अतिरिक्त सम्मिलित करते हुये शासकीय मूल्यांकन रु0 1100-00/- रुपये प्रति वर्गमीटर बनता है। जेडला न केला-कम्पनी के मध्य इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में एक पंजीकृत विक्रय सविदा-पत्र (अध्यास्य रहित) दिनांक 19-03-2008 को अंकित व विष्पादित हो रहा है, जिसका पंजीकरण कार्यालय उपनिष्ठा लड़की, जिला हरिद्वार के कार्यालय में वही संख्या-1, जिल्द संख्या-272 के पृष्ठ संख्या-239 से 264 में प्रपत्र संख्या-12 पर दिनांक 19-03-2008 को पंजीकृत हुआ, जिसमें जेला-कम्पनी ने अंकन 6,60,000/- रुपये का स्टाम्प शुल्क समर्पित रखा है। इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति विक्रय सविदा-पत्र दिनांक 19-03-2008 के तारतम्य में अंकन 1,05,54,320 रुपये का धक्काश में विधित की जा रही है। अधिकतम शासकीय मूल्यांकन पर अंकन रु0 4,09,640-00 रुपये का स्टाम्प रु0 5,74,240-00 का स्टाम्प शुल्क विधित होता है। इस प्रकार कुल रु0 6,60,000-00 रुपये का स्टाम्प शुल्क समर्पित पर रखा है, जो कि विक्रय विलेख में शनायोजित होया है, अतः जेला-कम्पनी द्वारा विधानानुसार कोई स्टाम्प शुल्क अदा नहीं कराया है। परन्तु फिर भी रु0 200-00 का अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क समर्पित

For Micro Electronics Ltd., Uttarakhand

Authorized Signator

184 147/00

101





भारतीय नैऋत्ययिक

दस
रुपयेTEN
RUPEES

रु. 10

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

*** कोषाधिकारी ***

सूचना

कोड संख्या: 5500

26 MAY 2008

XXXXXXXXXX

हरियाणा (उत्तराखण्ड)

2008 - 2009 + +

-15-

- जा रहा है। सम्पत्ति अन्तरण में कोई वैध बाधा नहीं है। सम्पत्ति वन भूमि सीमा संपन्न अधिनियम 1976 तथा उत्तर प्रदेश जंगल भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1960) (यथाअंगीकृत व संशोधित उत्तराखण्ड राज्य) के प्राविधानों से मुक्त है।
- (4) यह कि विक्रेता व क्रोता-कम्पनी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं। सम्पत्ति पर कोई वृक्ष, बाग या निर्माण अ नहीं है। भूमि पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1960) (यथाअंगीकृत व संशोधित उत्तराखण्ड राज्य) लागू नहीं होता है। विक्रेता द्वारा विक्रय विलेख अंकित व निष्पादित करने में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है और विक्रेता वर्तमान विक्रय-विलेख अंकित व निष्पादित करने हेतु सक्षम है।
- (5) यह कि इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि वन भूमि, वन पालिका रुड़की, जिला हरिद्वार की सीमा से बाहर स्थित क्रोता-कम्पनी के पास उत्तराखण्ड राज्य में खसरा संख्या-158 बगल रायपुर परगना भगवानपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड औद्योगिक भूमि/सम्पत्ति है, जिस कारण वर्तमान विक्रय विलेख के निष्पादन से उत्तर प्रदेश जमींदारी विवाद एवं खसरा अधिनियम 1950 (यथासंशोधित उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-29 वर्ष 2003) तथा उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-12 2006 (उत्तराखण्ड अध्यादेश सं०-1 वर्ष 2007) के प्राविधानों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं हो रहा है।
- (6) अतः यह विक्रय पत्र मुख विक्रेता ने अपनी मज, बुद्धि व इच्छाओं की स्वयं दशा में बिना किसी जोर दबाव के स्वच्छ से कुल उपरोक्त वर्णित मूल्यवर्ष क्रोता मालिक से प्राप्त करके स्वच्छ से लिख दिया ताकि प्रमाण रहे।

हरियाणा

For Sign. Notary Public

[Signature]

184 147/001
 10
 4 92
 प्रमाणित प्रमाणित
 प्रमाणित प्रमाणित





26 MAY 2008
XXXXXXX
XX 2008-2009 ++

- (7) यह कि इस विषय विवेक में जहाँ-जहाँ शब्द "विक्रेता" एवं "क्रेता" आया है, उससे उसका तात्पर्य व अर्थान्वार उसके ही प्रतिनिधि, अन्तरिती, वरिष्ठान, प्रतिनिधि व दायद से लगाया जावेगा व समझा जावेगा।

सूची सम्पत्ति

भूमि खसरा संख्या-34 खसरा संख्या-399 जिसका कुल क्षेत्रफल 1.0640 हेक्टेयर है, का 1/2 अधिभाजित भाग अर्थात् 0.53 हेक्टेयर, स्थित ग्राम मुन्डियाली परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड), कि जो संलग्न मानचित्र में शब्द अ,ब,स से परिचित किया गया है तथा न्याय विन की रेखाओं से रेखांकित किया गया है, जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार है :-

- पूर्व में :- खसरा संख्या 441 चकमाल
पश्चिम में :- शेख खसरा संख्या 399 जो सहस्रतेंदर सुरेंद्र सिंह के अधिपत्य में है।
उत्तर में :- खसरा संख्या 398 वाली व उसके बाद खसरा संख्या 397 चकमाल है।
दक्षिण में :- खसरा संख्या 441 चकमाल व उसके बाद खसरा संख्या 400 व 401 है।

(Handwritten signature)

For Mirc Electronics Ltd. Uttarakhand

(Handwritten signature)
Authorized Signatory

184 147/00
18
[Signature]





रजिस्ट्रार
कोड: 17-26 MAY 2008
5500

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु
श्री कृपाल सिंह
XX 2008-2009 ++
अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका



अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका



Handwritten signature

Handwritten signature
श्री कृपाल सिंह
विद्येता

For Mirc Electronics Ltd. Uttarani

Handwritten signature
Authorized Sign

1074 1.7/00
1074
[Signature]



भारतीय नैऋत्याधिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

कॉड सख्या 5500

24 MAY 2008

-18-

देता का नाम :- मर्क इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेश राधा कृष्णन

सभी प्रमुख दाँते हाथ की अंगुलियों के विन्दु

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका



सभी प्रमुख दाँते हाथ की अंगुलियों के विन्दु

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

For Mirc Electronics Ltd. Uttaranchal



मर्क इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड
द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि

श्री राजेश राधा कृष्णन

देता

राजेश राधा कृष्णन

184
19
17/04



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

कोटा नं० १६००

26 MAY 2008

XXXXXXXXXX

संख्या (१८४२७३५)

2008-2009

For Mirc Electronics Ltd. Uttarakhand

Authorised Signatory

-19-

साक्षीगण :-

[Signature]

(1) *[Signature]*
C. S. Singh
35 Civil Lines
Roorkee

(2) *[Signature]*
C. S. Sharma
Roorkee
Roorkee

104

147/07

10





भारतीय न्यायिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

संयोजित न्यायालय

रुडकी
कोष्ठ संख्या 5500

26 MAY 2008

XXXXXXXXXX
जिला हरिद्वार (उत्तरांचल)
X-X 2008 - 2009 + +

संयोजित न्यायालय

Embossed Signature

पक्षकारों के निर्देश पर तथा उन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर इस प्रपत्र की रचना भेरे कार्यालय में की गयी तथा इसका कम्प्यूटीकरण भेरे निर्देशन में मौहम्मद शहजाद के द्वारा किया गया। पक्षकारों ने एक दूसरे की पहचान की तथा पक्षकारों ने स्वयं के विपक्ष स्वयं पुष्ट किये।

दिनांक:- 14-07-2008

ड्राफ्टिडबाई:- सतेज कुमार गर्ग एडवोकेट पैम्बर नं० 28, रुडकी, जिला हरिद्वार।

टाईपिस्ट:- मौ० शहजाद।

Photo & Certificate

14-जुलाई-2008

Seller

184

14/7/08

107

Buyer

Witness



Witness 1



वही नम्बर

1

जिल्द

352

पृष्ठ

133 से 174

में नम्बर

2,992

पर आज दिनांक 14-जुलाई-2008

में रजिस्ट्री की गयी।

उप निबन्धक

SRO2 Roorkee

Sumit
14/7/08

प्रिंट नं०/226/08
6-7-08

हूँ मूल में मालावलीका गया

10-9-08

14-जुलाई-2008

Seller



Buyer



Witness



Witness 1



बही नम्बर 1

जिल्द 352

पृष्ठ

133 से 174

में नम्बर 2,992

पर आज दिनांक 14-जुलाई-2008

में रजिस्ट्री की गयी।

उप निबन्धक

SRO2 Roorkee

